मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
संरक्षा शाखा, पुणे

संख्या. पुणे / सं. / संरक्षा परिपत्र / 38 / 10 -11

दि.23.12.2010

गाड़ी संचालन और उससे संबंधित सभी कर्मचारी
पुणे मंडल

संरक्षा परिपत्र संख्या 13 / 2010-11

विषय – साधारण एवं सहायक नियम 1999 आवृतिके मद संख्या 5 से 7 के अनुसार अग्रिम शुध्दिपत्र संख्या 11 की मुख्य बातें।

संदर्भ – मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय का दि. 24.09.2010, 25.11.2010, 01.12.2010, 29.11.2010 का पत्र संख्या टि आर / जी एडं एस आर /संशो. / 101

कृपया गाड़ी परिचालन के लिए नियमों में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करें। तदनुसार अपनी नियम पुस्तिका अद्यतन करें।

अग्रिम शुद्धि पत्र	मद	नियम संख्या		परिवर्तित विवरण
11	5	**स. नि. 9.02-5 स्वचलित सिगनल 'ऑन' पर रहते हुए गुजरने के पश्चात स्वचलिच सिगनल क्षेत्र में दो गाड़ियों के बीच का अंतर**	**क**	स्वचलित रोक सिगनल ऑन पर रहते हुए गुजरने के पश्चात किसी भी लोकोमोटिव द्वारा चल रही गाड़ी का चालक सुनिश्चित करेगा कि अनुवर्ती गाडी यदि कोई है और उसकी गाडी के बीच या आगे के किसी भी अवरोध के बीच कम से कम 150 मीटर्स का अंतर या दो स्पैन ओ.एच.ई. स्पैन बनाया रखा जाए । इ एम यू के मामले में दोनो के बीच या आगे के किसी भी अवरोध के बीच कम से कम 75 मीटर्स का अंतर या एक ओएचई स्पैन बनाया रखा जाए। तथापि गहरे कोहरे के समय लोको पायलट / मोटरमेन स्वचलित रोक सिगनल ऑन (लाल) को पार करते समय लोकोमोटिव / इ.एम.यू. की गति 10 कि.मी.प्र.घं. से अधिक न हो यह सुनिश्चित करेंगे आगे की गाड़ी का फ्लैशिंग टेल लैम्प पर्याप्त दूरी से दिखाई दें इतना अतंर रखकर चलेंगे।
		स.नि.4.08.3 - गहरे कोहरे के समय गाडी की गति पर नियंत्रण	**i.**	ब्रेक पॉवर, लोड और दृश्यता के अनुसार लोको पायलट गाडी को नियंत्रित कर सके ऐसी गति से गाडी चलाएगा।
			ii.	एब्सुलेट ब्लॉक सेक्शन पद्धति में लोको पायलट गाडी को नियंत्रित कर सके ऐसी गति से गाडी चलाएगा । कोई अवरोध आने पर तुरंत गाडी को रोका जा सके इसलिए गाडी 60 कि.मी.प्र.घं. से अधिक गति से न चलाए।
			iii.	स्वंचलित क्षेत्र में, लोको पायलट निम्नानुसार दी गई गति से अधिक गति में गाड़ी नहीं चलाएगा :- हरा संकेत - 60 कि.मी.प्र.घं. दोहरा पीला - 30 कि.मी.प्र.घं. पीला - प्रतिबंधित गति ताकि अगले रोक सिगनल से पहले गाडी रोक सके
			iv.	फाटकवाले द्वारा फाटक बंद करने और समपार फाटक का उपयोग करने वालों को चेतावनी देने के लिए लोको पायलट लगातार सीटी बजाएगा।

11	**6**	**स.नि. 3.61-1 (ज)**	**1.**	पन्ना क्रं. 85 से हटाया गया है ।		
		स.नि. 3.61-1 (झ)	**2.**	**ठ)**	आपातकाल में स्टेशन मास्टर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में वर्णित स.नि. 3.61-1 (ट) का संदर्भ ले। जिन स्टेशनों पर कोहरा होने की संभावना है उन स्टेशनों के नाम मंडल रेल प्रबंधक अधिसूचित करेंगे । ऐसे प्रत्येक स्टेशन पर समूह 'घ' के चार कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा (यदि कर्मचारी उपलब्ध न हो पाए तो सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) से एक या दो गैंगमेन लिये जा सकते हैं) नामित चारों कर्मचारियों को कोहरा सिगनल मेन के रूप में कार्य करना होगा। चारो कर्मचारी कोहरे सिगनल मेन के कर्तव्य के बारे में पूरी तरह प्रशिक्षित होंगे और वे रेलवे के नियमित कर्मचारी होगे न कि सबस्टियूड। कोहरा सिगनल मैन के रूप में चार कर्मचारियों को तैनात किया जाता है, जिन्हें स्टेशन पर दो या अधिक समूह 'घ' के कर्मचारियों नियुक्त करके बदली किया जाएगा और इंजीनियरींग गैंग में एक या दो अस्थाई व्यक्ति से बदली किया जाएगा, जिससे स्थाई को निकाला जाता है ।	
					(i)	दोहरी लाईन स्टेशन पर यदि माह में लगभग 7 दिनों के लिए कोहरा दिखाई देता है, तो इसे अटल कोहरा समझा जाएगा और अलग से कोहरा पोर्टरों को नियुक्त करना चाहिए । यदि एक माह में 7 दिनों से कम कोहरा रहता है, तो स्टेशन मास्टर स. नि. 3.61.1 (ड) के अनुसार कार्रवाई करेंगा । अर्थात वह स्टेशन पर पोर्टर के रूप में समूह 'घ' के कर्मचारी जो कि ड्यूटी से मुक्त हो गए तुरंत बुलाएगा और जो कर्मचारी स्टेशन पर कार्यरत है उनकी कोहरा सिंगनलिंग कार्य के लिए उपयोंग करेंगा । कार्य से मुक्त कर्मचारियों को नियमानुसार देय समयोपरी भत्ता दिया जाएगा और उनके सामान्य कार्य के टर्न में पर्यायी कर्मचारी को लगाया जाएगा । यह व्यवस्था कोहरा पोर्टरों को स्थायी रूप से रखकर आवश्यकता का निराकरण होने तक रहेंगी और पर्यायी कर्मचारियों के रूप में केवल स्थाई कर्मचारी की आवश्यकता रहेंगी । जब कोहरा सिंगनलिंगडयूटीपर उनका वास्तविक उपयोग किया जा रहा हैं । तथापि यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्थायी कर्मचारियों का ही इस कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा ।
					(ii)	इकहरी लाइन स्टेशनों पर जहां स्टेशन पोर्टरों की टोकनों की सुपर्दगी के लिए भी आवश्यकता होती है । मंडल रेल प्रबंधक द्वारा एक माह में कितने दिन कोहरा दिखाई देता है और उसकी अवधि दोनों का परीक्षण करना चाहिए और तत्पश्चात संपूर्ण कार्य निर्धारित किया जाए कि, विशेष कोहरा पोर्टरों की आवश्यकता है या नहीं । यदि कोहरा एक माह में एक या दो दिनों के लिए दिखाई देता है और कुछ समय के लिए रहता है तो अलग से कोहरा पोर्टरों की जरूरत नहीं होगी और उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (i) में बताई गई प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए ।
		स. नि. 3.61 – 1 (थ)	**3.**	स. नि. 3.61-1 (थ) पृष्ठ सं. 87 वाचन के लिए निम्नानुसार संशोधित किया गया है । **(थ)** कोहरा तथा खराब मौसम में या आँधियों में रेलपथ निरीक्षक या गैंगमेट स. नि. 15.09 और संबंधित विषय पर सहायक नियम के अनुसार जब लाइन की मरम्मत या अन्य कार्य के कारण सतर्कता से संचलन की जरूरत है तब दोनों दिशा में प्रथम सतर्कता सिगनल के पीछे 270 मीटर्स रेलों पर (अर्थात बाहरी बाजू) पटाखें रखने के लिए तत्काल नियमित गैंगमेन को तैनात करेंगा ।		

11	**6**	**स. नि. 3.75-4**	**4.**	स. नि. 3.75 - 4, टिप्पणी (2) पृष्ठ संख्या 106 हटाया गया है ।		
		स. नि. 8.03-1	**5.**	स. नि. 8.03..-1 पृष्ठ सं. 268 हटाया गया है ।		
		स. नि. 3.61-3 पटाखें रखने की आवश्यकता	**6.**	नया स. नि. 3.61-3, स. नि. 3.61-2, पृष्ठ 87 के नीचे मिलाया गया है ।		
				i	**जहां पटाखें रखने की आवश्यकता है :-** स्टेशनों के प्रथम रोक सिगनल के पहले 270 मीटर्स पर निम्नानुसार रखना चाहिए ।	
					क.	'क' श्रेणी स्टेशनों पर जहां चेतावनी बोर्ड लगा है पटाखें निकट सिगनल के पहले रखे जाएगे, चेतावनी बोर्ड के पहले नहीं ।
					ख.	'ख' श्रेणी स्टेशन पर जहां नीचे झुकनेवाले सिगनलों की व्यवस्था है – पटाखें आउटर सिगनल के पहले रखे जाएगें ।
					ग.	बहु पहलू एक सिगनलिंग में - जहां दूर सिगनल की व्यवस्था की गई है – निकटवर्ती सिगनल के पहले पटाखें रखें जाएगें ।
				टिप्पणी – केवल उन्हीं स्टेशनों पर कोहरा सिगनल पोस्ट की व्यवस्था की जाएगी, जहां पटाखें रखने की आवश्यकता हो । इसलिए इस तरह के पोस्ट उपर्युक्त बताई स्थितियों पर आधारित अनुकूलता के अनुसार स्थानांतरीत किए जायेंगे ।		
				ii.	**जहां पटाखें रखने की आवश्यकता नहीं है -** लोको पायलट के लिए " रोक सिगनल का स्थान" दर्शाने के लिए निम्न परिस्थितियों में पटाखें रखने की आवश्यकता नहीं है -	
					क.	ऐसे सेक्शनों में जहां लोकोमोटिवों पर विश्वसनीय कोहरा सुरक्षा उपकरण लगाया गया ।
					ख.	जहां पर्याप्त पूर्व चेतावनी की व्यवस्था की गई है – अर्थात ऐसे स्टेशनों पर जहां दोहरे दूर सिगनलों की व्यवस्था की गई है ।
					ग.	जहां स्टेशन सेक्शन में 15 कि. मी. प्रं. घं. तक गति की अनुमति है ऐसे स्टेशनों पर भी जहां पर पूर्व- चेतावनी सिगनल उपलब्ध नहीं हैं, परंतु चेतावनी बोर्ड लगे हैं ।
					घ.	जहां सेक्शन की गति 50 कि. मी. प्रं. घं. से कम है (परंतु 15 कि. मी. प्रं. घं. से अधिक है) और स्टेशन का प्रथम सिगनल रोक सिगनल नहीं है)
					च.	स्वचलित सिंगनलिंग क्षेत्र में ।
					छ.	फाटक सिगनल पर ।
					ज.	प्रस्थान सिगनल पर ।
					झ.	रेलपथ / उपरी उपस्कर / सिगनल के रखरखाव के कारण लगाए गए स्थायी गति प्रतिबंध के साइट / साइटों पर ।
11	**6(a)**	**स. नि. 3.61-3**	अग्रिम शुध्दिपत्र सं. 11 नं. 6 (6) के अनुसार और अग्रिम शुध्दिपत्र मद संख्या 7 के अनुसार ने स. नि. 3.61-3 में जोड़ा गया है, अग्रिम शुध्दिपत्र मद सं. दि. 28.02.2011 के बाद कार्यान्वित किया जाएगा ।			
11	**7**	**स. नि. 3.61-1 (थ)**	वर्तमान स. नि. 3.61-1 (थ) को संशोधित अग्रिम शुध्दिपत्र क्रं 11 / 6 मद – 3 हटाया गया है ।			

(सु. रविचंद्रन)

मंडल संरक्षा अधिकारी / पुणे